न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 05/2017 (75 एल. आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00259

उनवान

ग्राम वासियान खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर जरिये
1. भगवान सहाय पूर्व सरपंच पुत्र श्री नानगाराम जाति गुर्जर निवासी खरैरा।
2. मोहन सिंह पुत्र श्री टीकाराम
3. मदन सिंह जिला परिषद सदस्य पुत्र श्री भगवान सिंह
4. मान सिंह पुत्र वंशी
5. राजेन्द्र पुत्र भीका

जाति गूर्जर निवासी खरैरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार साहब रूपवास
3. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विधालय खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.10.2017 प्रकरण संख्या राजस्व/12/2/(157)2013/120 जिला कलक्टर, भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–
1. अधिवक्ता अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2017 से ग्राम खरैरा तहसील रूपवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 1423/675 रकवा 03 बीघा 09 विस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 02 बीघा भूमि को राजकीय माध्यमिक विद्यालय खरैरा तहसील रूपवास के खेल मैदान हेतु तथा ग्राम

खरैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1467/430 रकबा 02 बीघा 12 विस्वा किस्म कदीम में से 02 बीघा भूमि को राजकीय माध्यमिक विद्यालय खरैरा तहसील रूपवास के भवन निर्माण हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनिययम (स्कूलो, कालेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत शिक्षा विभाग, भरतपुर को निःशुल्क आवंटित की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, मौके के विपरीत जनहित के विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण हर सूरत में अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1467/430 रकवा 02 बीघा 12 विस्वा में से 02 बीघा भूमि का राजकीय माध्यमिक विद्यालय खरैरा के भवन निर्माण हेतु आवंटन करके भारी भूल की है, जबकि खसरा नम्बर 1423/675 रकवा 03 बीघा 09 विस्वा में से 02 बीघा रकवा भवन निर्माण हेतु आवंटन करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्यार्थियो की सुविधा को ध्यान में ना रखते हुये व पशुओ के चारागाह का ध्यान ना रखते हुये, राजनैतिक दबाव से प्रेरित होकर, गॉव से काफी दूर बिना मौका रिपोर्ट तलब किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित है, स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत इस न्यायालय में यह कहते हुए प्रस्तुत की गयी है कि अपीलाण्ट ग्राम खरैरा के निवासीगण हैं। उनके विवादित आराजी में हित निहित हैं एवं अपीलाण्ट ग्राम वासी अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। परन्तु अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार परिवेदित है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि में हित स्पष्ट नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. इसके अलावा अपीलाण्ट भगवान सहाय स्वयं को ग्राम वासियान खरैरा का प्रतिनिधि कहता है। किन्तु प्रतिनिधि नियुक्ति का कोई अधिकार पत्र एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य, उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक उपयोग हितार्थ जारी आदेश के विरूद्ध, असम्बंध व अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 13.10.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official